

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 52/2020

दायर दिनांक :- 13.02.2020

अनवान

श्री रामा पिता माधू धाकड नि. काबरी तह० जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री रामा पिता देबी मीणा नि. काबरी तह० जहाजपुर
2. श्री बरदा पिता देबी मीणा नि. काबरी तह० जहाजपुर
3. श्री रतना पिता भागीरथ मीणा नि. काबरी तह० जहाजपुर
4. श्री मथरा पिता देबी मीणा नि. काबरी तह० जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम काबरी प० ह० अमरगढ तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 14 रकबा 1.02 बीघा तथा आ.न. 8 रकबा 3.19 बीघा, आ.न. 31 रकबा 1.16 बीघा, आ.न. 33/2 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 3 रकबा 5.17 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम काबरी प० ह० अमरगढ तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 14 रकबा 1.02 बीघा तथा आ.न. 8 रकबा 3.19 बीघा, आ.न. 31 रकबा 1.16 बीघा, आ.न. 33/2 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 3 रकबा 5.17 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरगढ का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 700 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)  
जहाजपुर (भीलवाडा)